

4.1 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, नवीनतम तकनीकों एवं खाद्य प्रसंस्करण विधियों के प्रसार के माध्यम से रोजगार सृजन एवं कृषि आय में वृद्धि कर औद्योगिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है।

विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी (सीसीओ) आधारित लेखा परीक्षा में 2006-11 की अवधि का आच्छादन इसके अधिदेश को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण क्रियाकलापों में मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता की जाँच हेतु किया गया था। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत् हैं:-

- सम्पूर्ण अवधि (2006-11) के लिए पर्सपेक्टिव प्लान नहीं बनाया गया था एवं जनपद/क्षेत्र स्तर एजेन्सियों से सूचनायें प्राप्त किए बिना वार्षिक कार्य योजनाएं 2006-11 के लिए बनायी गयी थी, परिणामस्वरूप अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
- विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आकलन के लिए जनपद के साथ राज्य स्तर पर विश्वसनीय एवं वास्तविक आँकड़ों (डाटा) के संकलन हेतु क्रियाविधि विकसित नहीं की गयी थी।
- ₹ 559.01 करोड़ धनराशि के आयोजनागत बजट प्रावधान (2006-11) के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 327.71 करोड़ (59 प्रतिशत) धनराशि अवमुक्त की गयी।
- भारत सरकार ने ₹ 669.83 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय (2006-11) के सापेक्ष मात्र ₹ 322.05 करोड़ (48 प्रतिशत) ही अवमुक्त किया तथा विभाग भी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मात्र 53 से 87 प्रतिशत का उपभोग कर सका। विभाग द्वारा मूल आवंटन के उपयोग की असफलता के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वर्षों में अनुमोदित परिव्यय की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी।
- लहसुन बीजों के क्रय पर ₹ 1.17 करोड़ का परिहार्य व्यय (2008-11) किया गया।
- पीएलए में ₹ 43.60 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध (2007-09) रखी गयी एवं उसे अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया गया। पीएलए से मार्च 2009 में ₹ 23.90 करोड़ आहरित कर राजस्व मद में जमा किया गया था।
- शाकभाजी बीज उत्पादन के लिए लाभार्थियों को ₹ 8.88 करोड़ की अनियमित सहायता उपलब्ध करायी गयी।
- औषधीय, मसाला एवं सगंध फसलों की जीवितता सुनिश्चित किए बिना लाभार्थियों को ₹ 19.69 करोड़ की परिहार्य सहायता उपलब्ध (2006-10)करायी गयी।
- प्रचार सामग्री के मुद्रण पर ₹ 1.53 करोड़ का अनियमित व्यय (2006-11) किया गया।
- राजकीय बीज प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं एवं पाकों में अपूर्ण कार्यों पर ₹ 2.06 करोड़ का निष्क्रिय व्यय (2006-11) किया गया।

4.1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य (भौगोलिक क्षेत्रफल: 2.41 लाख वर्ग किमी.) है। इसकी 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसमें से 90 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक (बहुसंख्यक अनुसूचित जाति के) हैं। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन 1698 लाख मैट्रिक टन (2004-05) में राज्य का अंश 447.15 लाख मैट्रिक टन (26 प्रतिशत) था। राज्य में फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का मात्र 20 प्रतिशत ही प्रसंस्कृत किया जाता है एवं इसका बड़ा भाग (40 प्रतिशत) अन्य राज्यों में जाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग एवं प्रसंस्करण की आधारभूत संरचनाओं की पर्याप्त सुविधा न होने से औद्योगिक उत्पादों का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है, जो कृषकों की आय के साथ-साथ राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (विभाग) का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों (जैसे-पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर, कंट्रोल्ड एटमासफेयर स्टोरेज, रिफर वैन एवं मोबाइल प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना) में विस्तार कर, पोस्ट हार्वेस्ट ढाँचा निर्मित करके औद्योगिक उत्पाद की क्षति को रोकना व उनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

4.1.2 महत्व

कृषि विविधीकरण एवं सुनहरी क्रांति के लिए औद्योगिक विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण एक आदर्श विकल्प है। इस तरह की क्रांति रोजगार के अवसर पैदा कर, आर्थिक स्थिति में सुधार एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराकर लोगों को सक्षम बनाएगी। सीसीओ¹ आधारित लेखापरीक्षा के लिए विभाग का चयन विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रभाव एवं औद्योगिकी के अन्तर्गत क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने, उत्पादकता एवं पोस्ट हार्वेस्टिंग सुविधाओं की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए किया गया है।

4.1.3 संगठनात्मक ढाँचा

प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्पूर्ण रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है। विभागीय स्तर पर, निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर निदेशक एवं चार संयुक्त निदेशक हैं। जनपद स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान, उद्यान निरीक्षकों की सहायता से योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं।

4.1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

मुख्य नियन्त्रण अधिकारी आधारित लेखा परीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त संस्थागत क्षमता अस्तित्व में थी;
- अधिदेशित क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में आवश्यक नियमों, कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया; और

¹ मुख्य नियन्त्रक अधिकारी

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया और क्या प्रदत्त सेवायें सक्षम एवं प्रभावी थीं?

4.1.5 लेखापरीक्षा मापदण्ड

सी सी ओ आधारित लेखापरीक्षा के मापदण्ड हेतु निम्नलिखित स्रोत अपनाये गये:

- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश;
- बजट पुस्तिका एवं वित्तीय नियम;
- बजट अभिलेख, पर्सपेक्टिव प्लान, वार्षिक कार्य योजनाएं एवं निष्पादन बजट;
- विभागीय नीतियाँ/नियम एवं विनियम;
- अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित विधियाँ; और
- संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं लाभार्थियों के साक्षात्कारों पर प्रतिवेदन।

4.1.6 लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

सिंपल रैण्डम सैम्पलिंग विदआउट रिप्लेसमेन्ट (एसआरएसडब्ल्यूओआर) प्रणाली से चयनित 73 में से 32 इकाइयों {14 इकाई-एच श्रेणी² (80 प्रतिशत), 14 इकाई-एम श्रेणी (40 प्रतिशत) एवं 4 इकाई-एल श्रेणी (20 प्रतिशत)} (परिशिष्ट-4.1) की लेखापरीक्षा की गयी। सीसीओ आधारित लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों को नक्शे में दर्शाया गया है।



जिला उद्यान अधिकारी के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण के लिए प्रत्येक जनपद में दो प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं को भी चयनित किया गया। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशकों, जिला उद्यान अधिकारियों/अधीक्षक, राजकीय उद्यानों एवं

² एच-उच्च जोखिम एम-मध्यम जोखिम एवं एल-निम्न जोखिम

साइट्स विशेषज्ञ के साथ चयनित पौधशालाओं एवं प्रक्षेत्रों की अवधि 2006-11 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की गयी।

सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ 24 मई 2011 को परिचयात्मक गोष्ठी की गयी, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्ड एवं कार्यक्षेत्र तथा पद्धति पर वार्ता की गयी एवं सहमति प्रदान की गई। संयुक्त सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ समापन गोष्ठी 8 फरवरी 2012 को की गई, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं संस्तुतियों पर चर्चा की गयी। शासन से प्राप्त उत्तर को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर शामिल किया गया है।

4.1.7 सीमाएं

अभिलेखों एवं लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर न प्रस्तुत किये जाने से लेखापरीक्षा के मापदण्ड सीमित थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा द्वारा एक इकाई की गतिविधियों का मूल्यांकन तभी सम्भव है जब लेखापरीक्षित इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचनाएं एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जायें। 24 मई 2011 को परिचयात्मक गोष्ठी में विभाग के सचिव के आश्वासन के बावजूद कि लेखापरीक्षा को आवश्यक समस्त सूचनायें एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जाएंगे, लेखापरीक्षा दल को अभिलेख एवं लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये। अप्रस्तुत अभिलेखों से सम्बन्धित अर्द्धशासकीय पत्र (27 जुलाई 2011) निदेशक को प्रेषित एवं प्रधान महालेखाकार द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव के समक्ष प्रकरण 7 सितम्बर 2011 एवं 12 अक्टूबर 2011 को लाया गया। जबकि योजनाओं, निविदा दस्तावेजों तथा पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनायें/अभिलेख एवं 644 पृष्ठ के लेखापरीक्षा ज्ञापनों के उत्तर व्यापक रूप से फरवरी 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए गए (परिशिष्ट-4.2)।

अभिलेखों को प्रस्तुत न करने एवं विभिन्न लेखापरीक्षा ज्ञापनों में चाही गयी सूचनाओं को उपलब्ध न कराये जाने से लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र उस सीमा तक सीमित थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.1.8 संस्थागत कमियाँ

प्रत्येक संगठन को उसके अधिदेश की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचनाओं, जनशक्ति एवं निधि की आवश्यकता होती है। यह आन्तरिक प्रणाली की उपयुक्तता एवं औचित्य सुनिश्चित करती है और क्रियाकलापों के मुख्य क्षेत्रों को नियंत्रित करती है तथा संगठन को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी तरीके से संचालित करती है। कुछ क्षेत्रों में, जहाँ विभाग के क्रियाकलापों में कमी पायी गयी उन पर आगे के प्रस्तरो में चर्चा की गयी है।

4.1.8.1 नियोजन

पर्सपेक्टिव प्लान तैयार न करने एवं क्रियान्वयन एजेंसी की जमीनी स्तर पर भागीदारी न होने से योजनाओं की प्रगति कम थी।

किसी योजना के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए पर्सपेक्टिव प्लान (पीपी) एवं वार्षिक कार्य योजना (एएपी) आवश्यक है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण में सुधार हेतु योजना तैयार करने के पूर्व औद्योगिक उत्पादन की स्थिति, इसकी क्षमता एवं मांग, पोस्ट हार्वेस्टिंग गतिविधियों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों के आकलन हेतु आधारभूत सर्वेक्षण आवश्यक है।

निदेशालय एवं जनपद स्तर पर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि न तो आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया और न ही पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया गया था। राजस्व परिषद, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग द्वारा प्रेषित औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के आँकड़ों के आधार पर जनपदों द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गयी वार्षिक कार्य योजनाओं को निदेशालय स्तर पर संशोधित किया गया था। परिणामस्वरूप, जनपद स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्यों को अधिकांशतः प्राप्त नहीं किया गया जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

पुनः जाँच में पाया गया कि अवधि 2006-07 से 2009-10 तक उपलब्ध कराये गये आम, अमरूद, आलू एवं टमाटर के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े, नमूना जाँच किए गए जनपदों द्वारा संकलित एवं निदेशालय को प्रेषित तथा निदेशालय पर अनुरक्षित अभिलेखों के आंकड़ों में काफी भिन्नता थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-4.3** में है।

इस प्रकार नियोजन प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन एजेन्सियों की भागीदारी अधिकांशतः नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश आधारभूत परियोजनाएं अव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित की गयी व योजनाओं की प्रगति धीमी हो गयी जिसकी चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2012) कि औद्योगिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन के डाटाबेस सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति नियोजन विभाग से हो गयी है, जिससे भौतिक सत्यापन के आधार पर विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

4.1.8.2 मानव संसाधन प्रबन्धन

योजनाओं/कार्यक्रमों को तैयार करने, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए पर्याप्त मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण तत्व है।

निदेशालय एवं नमूना जाँच किए गए जनपदों के अभिलेखों की जाँच में प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण पदों में कमी पायी गयी जिसका विस्तृत विवरण **सारणी-1** में निम्नवत् है:

सारणी 1: मार्च 2011 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थिति

पदनाम	राज्य स्तर			नमूना जाँच किए गए जनपदों में			
	स्वीकृत	पदस्थापित	कमियाँ (प्रतिशत)	स्वीकृत	पदस्थापित		कमियाँ (प्रतिशत)
					अप्रैल 2006	मार्च 2011	
जिला उद्यान अधिकारी ³	67	35	32 (48)	28	22	17	11 (39)
वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक ⁴	174	108	66 (38)	85	66	68	17 (20)
उद्यान निरीक्षक	173	40	133 (77)	84	46	23	61 (73)
सहायक उद्यान निरीक्षक	379	310	69 (18)	208	176	157	51 (25)

(स्रोत: निदेशालय एवं सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों के अभिलेख)

³ पांच जनपदों में अधीक्षक, राजकीय उद्यान द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यवेक्षित किया जा रहा था।

⁴ वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक (एस एच आई), उद्यान निरीक्षक (एच आई) एवं सहायक उद्यान निरीक्षक (ए एच आई)

विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी से योजनाओं के सर्वेक्षण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य प्रभावित था।

मार्च 2011 को राज्य स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक एवं सहायक उद्यान निरीक्षकों की क्रमशः 48, 38, 77 एवं 18 प्रतिशत की कमी थी। उच्च प्रबंधन स्तर पर भी उप निदेशक के स्वीकृत 23 पदों के सापेक्ष मार्च 2011 को पाँच पद रिक्त थे। उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि नमूना जाँच किए गए जनपदों में कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापना में अवधि 2006-11 में धीरे-धीरे कमी आई, उक्त तथ्य के बावजूद इस अवधि में राज्य में कई नई योजनाएँ⁵ (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार) जैसे राज्य औद्योगिक मिशन (एसएचएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन (एनएमएमपी), सूक्ष्म सिंचाई (एमआई) एवं सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास (पीएचडीआईए) लागू की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर नमूना जाँच किए गए जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों ने बताया कि जनशक्ति में कमी के कारण योजनाओं/कार्यक्रमों का पर्याप्त सर्वेक्षण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण नहीं किया गया।

जिला उद्यान अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा यह भी सूचित (मई 2011) किया गया कि स्टाफ की कमी के कारण फलदार बागों के पौधरोपण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, फलस्वरूप जिला उद्यान अधिकारी द्वारा वित्तीय सहायता की अनुवर्ती किश्त ₹ 0.36 करोड़ अवमुक्त नहीं की गयी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2012) कि रिक्त पदों को भरने की आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभाग का पुनर्गठन भी प्रगति पर है जिससे प्रत्येक ब्लाक पर एक कर्मचारी उपलब्ध रहेगा।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति की कमी का प्रतिकूल प्रभाव योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति पर पड़ा।

4.1.8.3 ढाँचागत विकास

औद्योगिक क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं औद्योगिक उत्पाद के विपणन के क्रम में संरचनात्मक सुविधाओं का एक तंत्र सृजित किया जाना था।

औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित राज्य औद्योगिक मिशन राज्य के 45 जनपदों⁶ में लागू (2005-06) की गई एवं शेष 28 जनपदों में शासन द्वारा एसएचएम के पैटर्न पर "सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास" (पीएचडीआईए) योजना लागू (2006-07) की गई।

दोनों योजनाओं के अन्तर्गत 2006-11 की अवधि में संरचनाओं के भौतिक लक्ष्यों एवं प्राप्तियों की प्रगति निम्नवत् थी:

⁵ एसएचएम (जून 2005), आरकेवीवाई (मई 2007), एमआई (जनवरी 2006), एनएमएमपी (मार्च 2009) एवं पीएचडीआईए (2006)

⁶ (2005-06 : 26, 2007-08 : 14 एवं 2009-10 : 5 जनपद)

सारणी 2: मार्च 2011 तक भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र० सं०	मद	राज्य औद्योगिक मिशन (2006-11)		सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास (2006-10)	
		लक्ष्य	प्रगति (प्रतिशत)	लक्ष्य	प्रगति (प्रतिशत)
1	पैक हाउस	381	143 (37)	43	28 (65)
2	शीत गृह	200	168 (84)	-	-
3	रिफर बैंक	28	-	-	-
4	मोबाइल प्रोसेसिंग इकाई	67	1 (1)	-	-
5	लहसुन भंडारण	8	2(25)	-	-
6	थोक बाजार	2	1 (50)	-	-
7	ग्रामीण बाजार	80	1 (1)	20	13 (65)
8	राइपनिंग चैम्बर	5	2 (40)	-	-
9	लो एनर्जी कूल चैम्बर	41	1 (2)	1500	1000 (67)
10अ	प्रिजर्वेशन आफ न्यू यूनिट	85	7 (8)	-	-
10ब	अपग्रेडेशन आफ ओल्ड यूनिट	55	5 (9)	-	-
11	प्याज भंडारण	1051	158 (15)	214	112 (52)
12	हल्दी शोधन	52	19 (36)	-	-
13	डिस्टिलेशन यूनिट	248	19 (8)	-	-
14	प्रि कूलिंग यूनिट	2	0	-	-
15	मोबाइल प्रि कूलिंग यूनिट	8	0	-	-
16	फंक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर	149	24 (16)	-	-
17	स्टेटिक/मोबाइल वेन्डिंग कार्ट	258	8 (3)	-	-
18	कंट्रोल एटमासफियर स्टोरेज	2	0	-	-
19	फूल बाजार	2	0	-	-
20	क्वालिटी अवेरनेस	127	3 (2)	-	-

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया था।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यद्यपि पीएचडीआईए, एसएचएम के पैटर्न पर लागू की गयी थी, परन्तु मात्र चार घटकों जैसे; पैक हाउस, ग्रामीण बाजार, लो एनर्जी कूल चैम्बर एवं प्याज भंडारण की स्थापना के लिए ही प्रावधान किया गया था। योजना मार्च 2010 के बाद बन्द कर दी गयी। इस प्रकार, पीएचडीआईए में आच्छादित 28 जनपद औद्योगिक उत्पादों के प्रसंस्करण में पीछे रह गये थे।

योजनाओं के क्रियान्वयन पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा अनुवर्ती प्रस्तारों में की गयी है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए शासन ने बताया (फरवरी 2012) कि मूलभूत संरचना के विकास के लिए योजनायें एसएचएम के पैटर्न पर आरकेवीवाई द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

4.1.8.4 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण

योजना गतिविधियों का अनुश्रवण अपर्याप्त था एवं अभिलेखीकरण नहीं किया गया था।

एसएचएम, एमआई, आरकेवीवाई एवं पीएचडीआईए योजनाओं के योजना अभिलेखों में यह प्रावधान था कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा राज्य में योजनाओं का अनुश्रवण

किया जायेगा एवं क्षेत्रीय स्तर पर उप निदेशक द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं योजना गतिविधियों का 20 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा। सम्बन्धित जिलों के जिला उद्यान अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके सत्यापन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी थे।

निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों एवं सूचना की लेखापरीक्षा द्वारा जाँच (मई-जून 2011) में पाया गया कि राज्य स्तर पर एसएचएम अन्तर्गत 15 बैठकें (अक्टूबर 2005 से जनवरी 2011) आयोजित की गयी। एमआई एवं आरकेवीवाई योजनाओं के सम्बन्ध में, 2006 से 2011 की अवधि में मात्र तीन राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गयीं। इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि कार्यवृत्त में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार उप निदेशक एवं जिला उद्यान अधिकारी द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के 11 उप निदेशकों एवं 24 जिला उद्यान अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच (अप्रैल-सितम्बर 2011) में पाया गया कि निरीक्षण के अनुश्रवण प्रतिवेदन न तो उप निदेशक एवं न ही जिला उद्यान अधिकारी द्वारा तैयार किये गये थे। सम्बन्धित उप निदेशकों/जिला उद्यान अधिकारियों ने लेखा परीक्षा को उत्तर में बताया कि (अप्रैल-सितम्बर 2011) योजनाओं का अनुश्रवण किया गया था परन्तु अनुश्रवण/निरीक्षण नोट तैयार नहीं किया गया। अभिलेखीकरण की अनुपस्थिति में निर्धारित अनुश्रवण तन्त्र के अस्तित्व एवं अनुपालन को सत्यापित नहीं किया गया।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि मानक के अनुसार अनुश्रवण एवं सत्यापन के लिए सभी क्षेत्रीय मंडलीय निदेशकों एवं जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

मूल्यांकन

राज्य औद्योगिक मिशन का मूल्यांकन नहीं किया गया एवं राज्य नियोजन संस्थान द्वारा दर्शाये गए बिन्दुओं पर कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई।

एसएचएम के दिशा निर्देशों में प्रावधानित था कि 10वीं योजना अवधि के अन्त में (मार्च 2007) योजना का मूल्यांकन किया जाना था। एसएचएम की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) ने अपनी पाँचवी बैठक (जनवरी 2007) में योजना क्रियाकलापों के मूल्यांकन के लिए संस्था के चयन की प्रक्रिया शुरू की। एसएलईसी की 16वीं बैठक (जनवरी 2011) तक संस्था का चयन नहीं हो सका था। इस प्रकार, योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किसी भी स्वतन्त्र संस्था द्वारा नहीं किया गया और इस कारण मध्यावधि सुधार का लाभ, यदि आवश्यक था, नहीं प्राप्त किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य नियोजन संस्थान (एसपीआई) ने 26 में से पाँच जिले (अलीगढ़, बहराइच, बिजनौर, फतेहपुर एवं कानपुर देहात) चयनित कर पीएचडीआइए योजना का मूल्यांकन (2009-10) किया। मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में इंगित किया गया था कि केवल प्रभावशाली व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया गया था, पौधों की जीवंतता निम्न गुणवत्ता की रोपण सामग्री एवं बीजों की कम/विलम्ब से आपूर्ति के कारण कम थी, फलदार बागों का जीर्णोद्धार मानक के अनुरूप नहीं था, लाभार्थियों को मानक के अनुरूप सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। एसपीआई ने राज्य के पाँच जिले (इलाहाबाद, कौशाम्बी, मेरठ, रायबरेली एवं सहारनपुर) चयनित कर एमआई योजना का भी मूल्यांकन (2009-10) किया। अपने प्रतिवेदन (जनवरी 2010) में एसपीआई ने बताया कि लाभार्थियों में तकनीकी जानकारी के अभाव

से योजना की प्रगति धीमी थी, अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या को लाभान्वित किये जाने के मानक को नहीं अपनाया गया एवं मात्र 54 प्रतिशत सिस्टम (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर) स्थापित किये गये, जिसमें से मात्र 67 प्रतिशत ही कार्यशील थे।

एसएचएम का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था एवं अन्य लघु योजनायें जिसका मूल्यांकन हुआ था उसका निष्पादन अपर्याप्त था एवं लेखा परीक्षा में उसके सुधार हेतु कोई सुधारात्मक कार्यवाही प्रकाश में नहीं आयी, जिससे मूल्यांकन का उद्देश्य ही विफल रहा।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि निवेशों यथा बीजों, पौधों, उर्वरक एवं रसायनों के सत्यापन हेतु प्रत्येक जनपद में श्रेणी-1 अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। लेखापरीक्षा को यह भी सूचित किया गया कि सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान जारी किये जायेंगे।

4.1.8.5 आन्तरिक नियन्त्रण

आन्तरिक नियन्त्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को निर्देशित करता है। निदेशालय स्तर पर अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जनपदीय इकाइयों की वार्षिक लेखापरीक्षा निदेशालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा की जानी थी। 2006-11 की अवधि में, प्रकोष्ठ ने प्रतिवर्ष 95 इकाइयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने की योजना बनायी, परन्तु वास्तव में मात्र 34 से 70 इकाइयाँ ही आच्छादित हो पायी थी। लेखापरीक्षा न की गयी इकाइयों का प्रतिशत 2006-07 एवं 2010-11 में क्रमशः 32 से बढ़कर 64 हो गया था।

विभाग की सांविधिक लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ.प्र., इलाहाबाद द्वारा सम्पादित की जा रही थी। 91 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (2007-12) के 245 प्रस्तर (धनराशि ₹ 97.30 करोड़) जनवरी 2012 तक अनिस्तारित थे।

बड़ी संख्या में लेखापरीक्षा आपत्तियों का निस्तारण लम्बित था।

योजना के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षा की आपत्तियों पर सुधारात्मक कार्यवाही करने में असफल रहने के कारण बड़ी संख्या में आपत्तियाँ/मुद्दे अनिस्तारित थे, जो निरीक्षण तन्त्र की विफलता का द्योतक है।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि स्टाफ की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा को वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं निदेशालय स्तर पर आन्तरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षा के अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के निस्तारण हेतु एक शेड्यूल बनाया जायेगा।

4.1.9 अनुपालन से सम्बन्धित मामले

सही वित्तीय प्रशासन एवं नियन्त्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय वित्तीय नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताओं, दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी को रोकती है बल्कि अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने में भी मदद करता है। नियमों तथा विनियमों का अनुपालन न किये जाने से सम्बन्धित लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा आगे प्रस्तरों में की गयी है :

4.1.9.1 वित्तीय प्रबन्धन**बजट की तैयारी एवं उसका उपभोग**

उत्तर प्रदेश सरकार के बजट नियम पुस्तिका में प्रावधानित है कि अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नियन्त्रण कार्यालय द्वारा बजट अनुमानों (बीई) को समेकित किया जाये और जहाँ तक सम्भव हो यह शुद्ध होना चाहिए। निदेशालय ने, 2006-11 की अवधि के बजट अनुमानों को तैयार करने के आधारस्वरूप कोई अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की।

विभाग द्वारा 2006-11 की अवधि में प्रस्तावित बजट अनुमान, शासन द्वारा स्वीकृत एवं अवमुक्त बजट एवं उसके सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण सारणी-3 में दर्शाया गया है।

सारणी 3: मार्च 2011 तक बजट परिव्यय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आयोजनागत				
	बजट अनुमान	स्वीकृत बजट	अवमुक्त बजट	व्यय	उपभोग का प्रतिशत
2006-07	52.60	51.35	48.71	46.85	96
2007-08	191.96	97.91	88.97	82.63	93
2008-09	125.49	92.48	88.24	74.98	85
2009-10	96.07	82.92	80.64	65.49	81
2010-11	92.89	28.49	21.15	19.10	90
योग	559.01	353.15	327.71	289.05	88

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 2006-07 से 2010-11 की अवधि में कुल आयोजनागत अनुमान ₹ 559.01 करोड़ के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकृत बजट अनुमान ₹ 353.15 करोड़ के विरुद्ध ₹ 327.71 करोड़ अवमुक्त किया था। इसमें से विभाग द्वारा मात्र ₹ 289.05 करोड़ (88 प्रतिशत) ही उपभोग किया गया।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व जनपदों से बजट अनुमान प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे। यह भी बताया कि स्टाफ की कमी के कारण योजना के क्रियान्वयन एवं व्यय सम्बन्धी कार्य प्रभावित थे।

आवंटन एवं व्यय

योजनागत बजट अनुमान, आवंटन एवं व्यय में समन्वय का अभाव था।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित दो, संयुक्त रूप से वित्त पोषित (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार) दो एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नौ योजनायें विभाग में क्रियान्वित की जा रही थी। 2006-11 की अवधि में योजनाओं हेतु निधि की उपलब्धता एवं किये गये व्यय को सारणी-4 में दर्शाया गया है;

सारणी 4: योजनाओं के वित्तीय परिव्यय

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	योजना का नाम	2006-11 की अवधि में उपलब्ध निधि	व्यय	कमी (-) आधिक्य (+)
भारत एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें				
1	राज्य औद्योगिक मिशन ⁷ (भारत सरकार : 85 एवं राज्य: 15)	453.84	417.73	(-) 36.11
2	सूक्ष्म सिंचाई योजना (भारत सरकार: 80 एवं राज्य: 20)	30.07	21.47	(-) 8.60
भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें				
3	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	86.03	70.20	(-) 15.83
4	राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन	8.08	3.82	(-) 4.26
राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनायें				
5	प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन का सघनीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग केन्द्र	12.21	11.97	(-) 0.24
6	जैट्रोफा की खेती को प्रोत्साहन	1.50	1.34	(-) 0.16
7	सघन क्षेत्रों में व्यवसायिक औद्योगिक विकास	163.12	152.38	(-) 10.74
8	प्रदेश में फलदार बागों का संरक्षण	7.66	7.66	-
9	औद्योगिक फसल बीमा	2.0	2.0	-
10	औद्योगिक डाटाबेस सृजन	7.11	7.01	(-) 0.10
11	खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण	4.54	4.50	(-) 0.04
12	गुणवत्ता नियंत्रण एवं हाईजीन सम्बन्धी जागरूकता प्रशिक्षण	2.56	2.50	(-) 0.06
13	अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर उद्यान का सौन्दर्यीकरण	0.59	0.59	-
योग		779.31	703.17	(-) 76.14

(स्रोत: निदेशालय एवं कोषवानी से एकत्रित सूचना)

सारणी से स्पष्ट है कि 2006-11 की अवधि में, योजनाओं के लिए उपलब्ध निधि में से विभाग ₹ 76.14 करोड़ का उपभोग नहीं कर सका था।

शासन ने समापन गोष्ठी में तथ्य को स्वीकार किया (फरवरी 2012)।

एसएचएम के अन्तर्गत लहसुन बीज का अनियमित क्रय

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V (भाग-1) के प्रस्तर 260 (परिशिष्ट-18) में उल्लिखित है कि बिना दर अनुबन्ध वस्तुओं का क्रय निविदा प्रक्रिया द्वारा एवं विशिष्ट तथा पंजीकृत फर्मों से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तुलनात्मक एवं निष्पक्ष दर की प्राप्ति हेतु निविदा अभिलेख में ब्यौरेवार विशिष्टियाँ उल्लिखित होनी चाहिए।

वित्तीय नियमों का अनुपालन न किये जाने एवं विभाग के शिथिल रवैये के कारण ₹ 1.17 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इस सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में एसएलईसी ने भी निर्णय (जून 2008) लिया था कि गुणवत्ता एवं दरों में एकरूपता सुनिश्चित की जाये। आपूर्तित बीज, पौध रोपण सामग्री एवं अन्य निवेशों की मात्रा एवं दरों का अनुबन्ध निविदा प्रक्रिया द्वारा किये जाने के उद्देश्य से निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना था।

⁷ मार्च 2007 तक शत प्रतिशत भारत सरकार वित्त पोषित एवं उसके पश्चात संयुक्त वित्त पोषित (भारत सरकार :85 एवं राज्य सरकार : 15 प्रतिशत)

एसएचएम के अन्तर्गत "मसाला बाग की स्थापना" के लिए विभाग को प्रमाणित लहसुन बीज के क्रय करने की आवश्यकता थी। परन्तु, वित्तीय नियमों का पालन न करते हुए विभिन्न फर्मों से क्रय किया गया (**परिशिष्ट-4.4**) एवं निम्न विवरणानुसार ₹ 1.17 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया :

(i) नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2008-09 की अवधि में, 14 जिला उद्यान अधिकारियों ने विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न दरों पर 1,73,918 किलोग्राम लहसुन बीज क्रय किया था। जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ ने एनएचआरडीएफ⁸ से ₹ 50 प्रति किलोग्राम की दर से बीज (प्रजाति : जी-282) का क्रय किया था जबकि अन्य 13 जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा एचपी एग्रो, नैफेड, खादी बोर्ड, यूपी सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड आदि से ₹ 69.40 से ₹ 125 प्रति किलोग्राम की दर तक बीज (जी-282) का क्रय किया था। इस कारण, **परिशिष्ट-4.4** में दिये गये विवरणानुसार धनराशि ₹ 81.03 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

(ii) 2009-10 की अवधि में लहसुन बीज की आपूर्ति के लिए विभाग ने प्रमुख फर्मों से दरें आमंत्रित की थी। एनएचआरडीएफ, नासिक, महाराष्ट्र ने बीज (जी-282) की आपूर्ति के लिए ₹ 50 प्रति किलोग्राम की दर प्रस्तावित की थी। यह प्रस्ताव एसएलईसी की 11वीं बैठक (3 मार्च 2009) में स्वीकार किया गया था। परन्तु, निदेशालय ने 30 सितम्बर 2009 को सम्बन्धित जनपदों को एनएचआरडीएफ से लहसुन बीज के क्रय हेतु निर्देशित किया जबकि, रबी मौसम की बुआई अवधि अक्टूबर-नवम्बर 2009 थी।

इसी बीच विभाग ने दर निर्धारित किए बिना लहसुन बीज (जी-282) क्रय हेतु नौ अन्य फर्मों को भी नामांकित (17 जून एवं 1 जुलाई 2009) कर दिया।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 19 जिला उद्यान अधिकारियों ने विभिन्न फर्मों से 1,00,424 किलोग्राम लहसुन बीज (जी-282) का क्रय विभिन्न दरों, ₹ 64 से ₹ 125 प्रति किलोग्राम की दर तक किया एवं ₹ 26.79 लाख का अधिक व्यय किया जो परिहार्य था (**परिशिष्ट-4.4**), यदि बीज का क्रय एनएचआरडीएफ से ₹ 50 प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता।

इस प्रकार एसएलईसी की अनुमति के बिना उच्च दरों पर बीज की आपूर्ति के लिए फर्मों का नामांकन किये जाने एवं निम्न दरों पर आपूर्ति के लिए तैयार फर्म का नाम जनपदों को विलम्ब से सूचित किये जाने से अन्ततः शासकीय राजकोष पर भार पड़ा।

(iii) 2010-11 की अवधि में, 15 जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों ने ₹ 120 प्रति किलोग्राम की दर से एनएचआरडीएफ से 32,061 किलोग्राम लहसुन बीज (जी-282) के क्रय पर ₹ 38.47 लाख व्यय किया था, यद्यपि हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीएआईसीएल) ने निदेशक एवं समस्त जिला उद्यान अधिकारियों को ₹ 90 प्रति किलोग्राम की दर का प्रस्ताव दिया (जुलाई 2010) था। इस प्रकार एचपीएआईसीएल के प्रस्ताव पर ध्यान न दिये जाने से सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों (**परिशिष्ट-4.4**) द्वारा लहसुन बीज (जी-282) के क्रय पर ₹ 9.60 लाख अधिक व्यय किया गया।

⁸ राष्ट्रीय बागबानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एनएचआरडीएफ)

शासन ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि भविष्य में केन्द्रीकृत क्रय व्यवस्था लागू की जायेगी।

इस प्रकार वित्तीय नियमों का अनुपालन न किये जाने एवं विभाग के शिथिल रवैये के कारण ₹ 1.17 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पीएलए में अवरुद्ध निधि शासन को वापस की गयी

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V (भाग-1) के प्रस्तर 162 में व्यवस्था है कि शासकीय कोषागार से किसी धनराशि का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो,।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2006-08 की अवधि में, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा स्वीकृत ₹ 43.60 करोड़ **परिशिष्ट-4.5** कोषागार से आहरित कर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड (यूपीबीएसएनएल), लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पीएलए⁹ में अवरुद्ध रखा गया। विभाग ने ₹ 23.90 करोड़ अपने प्राप्ति लेखाशीर्ष को उस सीमा तक बढ़ाते हुए (मुख्य शीर्ष-0401) विभागीय प्राप्ति दर्शाकर जमा (मार्च 2009) कर दिया। अवशेष ₹ 19.70 करोड़, योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपदों को अवमुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एसएचएम, एमआई एवं अन्य राज्य पोषित योजनाओं के राज्यांश से सम्बन्धित निधियाँ (₹ 5.31 करोड़) कोषागार से आहरित (2006-11) कर एसएचएम के बैंक खाता (₹ 4.63 करोड़) एवं जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के पीएलए (₹ 0.68 करोड़) **परिशिष्ट-4.6** के अनुसार रखा गया था।

इस प्रकार, बजट को व्यपगत होने से बचाने हेतु, राज्यांश को अनियमित रूप से कोषागार से आहरित कर 1 से 2 वर्ष की अवधि तक पीएलए/बैंक खाते में अवरुद्ध रखा गया।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि वर्तमान में निधि बैंक खाते एवं पीएलए में अवरुद्ध नहीं रखी जा रही है।

बैंक समाधान विवरणों का न बनाया जाना

बैंक समाधान आन्तरिक नियन्त्रण की ऐसी प्रक्रिया है जो कि एक निर्धारित समय पर बैंक विवरण में प्रदर्शित बैंक अवशेष एवं रोकड़ बही में प्रदर्शित अनुरूप धनराशि के बीच अन्तर को प्रदर्शित एवं स्पष्ट करता है। बैंक खातों द्वारा संचालित योजनाओं का समाधान विवरण बनाया जाना प्रत्येक जिला उद्यान अधिकारियों के लिये अनिवार्य है।

नमूना जाँच किये गये जिला उद्यान अधिकारियों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट-4.7** में दिये गये विवरणानुसार, 2006-11 की अवधि में जिला उद्यान अधिकारियों (19) ने रोकड़ बही के अन्तिम अवशेष एवं बैंक विवरण में दर्शाये अवशेष, के बीच अत्यधिक अन्तर होने के बावजूद एसएचएम बैंक खातों का बैंक समाधान विवरण नहीं बनाया था।

बजट व्यपगत होने से बचाने के लिए ₹ 43.60 करोड़ पी एल ए में राज्यांश अवरुद्ध था एवं अंतिम व्यय के रूप में भारित किया गया था।

बैंक समाधान विवरण नहीं बनाये जाने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक अवशेष में अत्यधिक अन्तर था।

⁹ वैयक्तिक लेजर खाता (पीएलए)

इसके अतिरिक्त नीचे सारणी-5 में उल्लिखित, जिला उद्यान अधिकारियों के कार्यालयों में रोकड़ बहियाँ (3 जनपदों में: मुख्य रोकड़ बही एवं 3 जनपदों में: योजना विशेष रोकड़ बही) अनुरक्षित नहीं की गयी थी।

सारणी 5: सितम्बर 2011 तक का व्यय विवरण

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	व्यय अवधि	कोषागार / बैंक	व्यय (₹ करोड़ में)
1.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच	जून-अगस्त 2011	कोषागार	0.16
2.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, मिर्जापुर	अगस्त 2010- मार्च 2011	कोषागार	0.98
3.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, सुल्तानपुर	अप्रैल 2010- मई 2011	कोषागार	2.24
4.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, सोनभद्र	अप्रैल 2010- मार्च 2011	बैंक	0.35
5.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, गोरखपुर	अप्रैल 2008-जून 2011	बैंक	0.08
6.	जिला उद्यान जिला उद्यान अधिकारी, महोबा	21 मार्च 2010-जुलाई 2011	बैंक	0.03
योग				3.84

(स्रोत: जिला उद्यान अधिकारी अभिलेख)

इस प्रकार सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) गया कि सम्बन्धित जनपदों को प्राथमिकता के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

उत्तर अपर्याप्त है, क्योंकि यह बैंक समाधान की आवश्यक आन्तरिक नियंत्रण की प्रक्रिया संबंधी मुद्दे को परिलक्षित नहीं करता है।

जीपीएफ अभिलेखों का रख रखाव

सामान्य भविष्य निधि नियम, 1985 के अनुसार वर्ग 'ग' (पास बुक) तथा 'घ' (लेजर, ब्राडशीट तथा पासबुक) कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अभिलेखों के रख रखाव की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुखों/डीडीओ की होती है।

निदेशालय तथा नमूना जाँच किये गये जनपदों¹⁰ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

वर्ग 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के सा ग नि अग्रिमों के ₹ 19.93 लाख की प्रविष्टि उनके पास बुकों में नहीं की गयी थी।

जिला कार्यालयों द्वारा वर्ग 'घ' कर्मचारियों के ब्राडशीट का रख रखाव नहीं किया गया।

- वर्ष 2005-11 की अवधि में, 30 वर्ग 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के, सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों के ₹ 19.93 लाख की प्रविष्टि उनके पास बुकों में नहीं की गयी थी (**परिशिष्ट-4.8**);
- वर्ष 2006-11 की अवधि में 81 वर्ग 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों के ₹ 70.70 लाख आहरण के अभिलेख (लेजर तथा पासबुकों) लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिये प्रस्तुत नहीं किये गये (**परिशिष्ट -4.9**); तथा

¹⁰ इलाहाबाद, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, काशीरामनगर, कौशान्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महोबा, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी ।

- जिला कार्यालयों द्वारा वर्ग 'घ' कर्मचारियों के अभिदानों, वसूलियों, स्वीकृत अग्रिमों आदि को दर्शाने के लिये ब्राडशीट का रख रखाव नहीं (2006-11) किया गया।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2012) तथा बताया कि सामान्य भविष्य निधि अभिलेखों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाएगा।

4.1.10 कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन

विभाग द्वारा मुख्यतः 13 योजनायें क्रियान्वित (2006-11) की जा रही थी। इसमें से छः संचालित योजनायें, जो व्यय के आधार पर चयनित थी, की जाँच की गयी तथा परिणामों की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तारों में की गयी है:

4.1.10.1 राज्य औद्योगिक मिशन (एसएचएम)

समस्त लाभार्थियों की सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुये औद्योगिकी के समग्र विकास के लिये, केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन (एनएचएम) योजना भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ (जून 2005) की गयी। भारत सरकार ने 2007-08 में वित्तीय पैटर्न संशोधित (भारत सरकार: 85 एवं राज्य सरकार: 15 प्रतिशत) किया एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अन्तर्गत 45 जनपदों (परिशिष्ट-4.10) एवं 15.75 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल आच्छादित करते हुए राज्य की औद्योगिक वृद्धि दर 6.57 से बढ़कर 10.87 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा।

योजना का उद्देश्य

एसएचएम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र आधारित रणनीति (अनुसंधान, तकनीक प्रोत्साहन, तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र का समग्र विकास करना था। राज्य में उत्पादित मुख्य औद्योगिक फसलों, जैसे केला, आम, अमरूद, लीची, लहसुन, मिर्च, हल्दी एवं शाकभाजी बीजों की लेखापरीक्षा जाँच की गयी।

वित्तीय प्रबन्धन

आवंटित केन्द्रीय सहायता, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, पूर्व वर्ष में किये गये व्यय एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने की एसएचएम की क्षमता पर आधारित थी और यह एसएचएम को डिमान्ड ड्रापटों/चेकों के माध्यम से सीधे अवमुक्त की गयी।

भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि एवं उनकी उपयोगिता

एसएचएम के अन्तर्गत, 2006-11 की अवधि में अवमुक्त धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

सारणी 6: 2006-11 की अवधि में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशियाँ तथा उनकी उपयोगिता का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार देय धनराशि	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	कुल धनराशि	व्यय (प्रतिशत)	संचित अवशेष
2006-07	47.87	123.98	15.00	62.87	33.41 (53)	29.46
2007-08	29.46	180.62	94.26	123.72	68.53 (55)	55.19
2008-09	55.19	144.21	63.73	118.92	87.65 (74)	31.27
2009-10	31.27	114.77	91.43	122.70	106.14 (87)	16.56
2010-11	16.56	106.25	58.08	74.64	57.49 (77)	17.15
योग		669.83	322.50		353.22	

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग न किए जाने के परिणाम स्वरूप अनुमोदित परिव्यय की सहायता राशि अवमुक्त नहीं की गई।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है, कि 2006-11 की अवधि में अनुमोदित परिव्यय ₹ 669.83 करोड़ के विरुद्ध भारत सरकार से मात्र ₹ 322.50 करोड़ (48 प्रतिशत) बजट की धनराशि प्राप्त हुई थी।

आगे, यह देखा गया कि विभाग ने उपलब्ध धनराशि का केवल 53 से 87 प्रतिशत ही उपयोग किया एवं अवशेष धनराशि ₹ 16.56 से ₹ 55.19 करोड़ तक सभी वर्षों में अनुपयोगी रहे।

विभाग द्वारा मूल आवंटन के उपयोग की विफलता के परिणामस्वरूप अनुवर्ती वर्षों में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सहायता राशि अवमुक्त नहीं की गयी।

समापन गोष्ठी में शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया, परन्तु निश्चित उत्तर नहीं दिया गया।

समर्थित वाउचर के बिना व्यय

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-V) भाग-I के नियम 50 (3) के अनुसार व्यय के वाउचर को साक्ष्य के रूप में रखना चाहिए।

जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

₹ 52.03 लाख का व्यय समर्थित वाउचर के बिना किया गया।

- 2006-07 की अवधि में जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर द्वारा ₹ 52.03 लाख का व्यय किया गया, परन्तु व्यय के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके कारण व्यय की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी; तथा
- जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर द्वारा एक कर्मचारी (लिपिक-सह रोकड़ियाँ) को ₹ 2.99 लाख का अग्रिम भुगतान (जनवरी 2006) किया गया, परन्तु कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी समायोजन वाउचर उपलब्ध नहीं थे।

शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2012) बताया गया कि जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर के विरुद्ध जाँच के लिये निदेशक को आदेश जारी किये जा रहे हैं तथा जाँच के परिणाम से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अन्य विभागों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

2006-11 की अवधि में ₹ 51.36 करोड़ अन्य विभागों को बिना किसी अनुश्रवण के उपलब्ध कराया गया था।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि पौधशालाओं, टिशू कल्चर प्रयोगशाला (टीसीएल) आदि की स्थापना हेतु ₹ 51.36 करोड़ 13 अन्य विभागों (2006-11) को अवमुक्त की गयी थी, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट -4.11 में है। परियोजना रिपोर्ट, अनुश्रवण रिपोर्ट, पूर्णता रिपोर्ट तथा निधियों की उपयोगिता का विस्तृत विवरण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार पौधशालाओं, टीसीएल की स्थापना की प्रगति लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

शासन ने तथ्य को स्वीकार करते हुये (फरवरी 2012) बताया कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जायेगी एवं कार्य न करने वाले विभागों से धनराशि वापस लेने का निर्णय लिया जायेगा।

सब्जी बीज उत्पादन

सब्जी बीज उत्पादन योजनान्तर्गत, कृषकों को बीजों के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही थी, जिससे अंकुर का जमाव इस तरह हो कि अगेती तथा

लाभार्थियों को सब्जी बीज उत्पादन हेतु ₹ 8.88 करोड़ की अनियमित सहायता दी गई थी।

पिछड़ी फसल संभव हो सके एवं उत्पादन की कमी तथा अधिकता को टाला जा सके। सहायता राशि, दिए गए क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर बीज उत्पादन की मात्रा पर आधारित थी (पूर्वी जनपदों में 210 कुन्तल/हेक्टेयर एवं पश्चिमी जनपदों में 230 कुन्तल)। मटर बीज उत्पादन के सम्बन्ध में राज्य के सभी जनपदों के लिए निर्धारित मात्रा 12 कुन्तल/हेक्टेयर थी। सहायता राशि, बीजों के मानक के अनुसार उत्पादन एवं उ०प्र० बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणीकरण के पश्चात् उपलब्ध करायी जानी थी।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 2006-11 की अवधि में ₹ 8.88 करोड़ की वित्तीय सहायता (आलू: ₹ 1.79 करोड़ तथा मटर: ₹ 7.09 करोड़) लाभार्थियों को (20 जनपद¹¹) बीज उत्पादन की निर्धारित मात्रा का आकलन किए बिना ही दी गयी थी।

इस प्रकार, एसएचएम मानकों का अनुपालन न करने के कारण बीज उत्पादन के उद्देश्यों को सुनिश्चित नहीं किया गया।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2012) बताया गया कि संयुक्त निदेशक द्वारा दो नमूना जनपदों (बस्ती तथा सहारनपुर) में जाँच संचालित की जायेगी।

नये उद्यानों की स्थापना

एसएचएम के अन्तर्गत बहुवर्षीय फल (आम, अमरुद, लीची, आंवला, बेल एवं साइट्रस), फूल (कट फलावर, बल्बस फलावर तथा लूज़ फलावर) मसाले (मिर्च, लहसुन तथा हल्दी) तथा सगन्ध फसलों (पचौली, जिरेनियम, रोसमैरी तथा दमश्क रोज) के नवीन क्षेत्रों को लाना था। इसके अन्तर्गत सहायता खेती के लिए तीन वर्षों की अवधि में 50:20:30 के अनुपात में नये बागों की जीवितता दर 75 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में तथा 90 प्रतिशत तृतीय वर्ष में होने पर ही उपलब्ध करायी जानी थी।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग ने 39,308 हेक्टेअर के लाभार्थियों को एनएचएम दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमन्य धनराशि ₹ 22.11 करोड़ (₹ 5,625×39,308) के सापेक्ष कुल ₹ 41.80 करोड़ की धनराशि एकमुश्त अवमुक्त (2006-10) कर दी थी।

नये उद्यानों की स्थापना हेतु लाभार्थियों को ₹ 19.69 करोड़ की अनियमित सहायता उपलब्ध कराई गई थी।

परिणामस्वरूप, 2006-10 की अवधि में 39,308 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुवर्ती वर्षों में पौधों की जीवितता सुनिश्चित किये बिना ₹ 19.69 करोड़ (औषधीय: ₹ 0.83, मसाला: ₹ 15.17 तथा सगन्ध: ₹ 3.69 करोड़) की सहायता अनियमित रूप से अवमुक्त की गयी थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और बताया कि भविष्य में सहायता केवल पौधरोपण की जीवितता सुनिश्चित करने के बाद दी जायेगी।

उपरोक्त उत्तर, अनुश्रवण, आन्तरिक नियंत्रण एवं मिशन के उद्देश्यों की परिपूर्णता के अभाव को इंगित करता है।

वित्तीय सहायता के मानकों का पालन न किया जाना

बहुवर्षीय फलों के लिये ₹ 22,500 प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 75 प्रतिशत) एवं मसाला तथा सगन्ध फसलों के लिये ₹ 11,250 प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि निर्धारित

¹¹ इलाहाबाद, बस्ती, बाराबंकी, बुलन्दशहर, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, सहारनपुर, संतकबीर नगर, सोनभद्र तथा सुल्तानपुर।

(2005-06) की गयी थी। सामान्यतया वित्तीय सहायता एक फसल के लिये, तीन वर्षों की अवधि में 50:20:30 के अनुपात में जीवितता दर 75 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में एवं 90 प्रतिशत तृतीय वर्ष में होने पर ही थी। भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की दरें¹² 60:20:20 के अनुपात में संशोधित (अप्रैल 2010) की गयी।

मुख्य फलदार फसलों (आँवला, बेल, साइटस, अमरूद, लीची एवं आम) की खेती के अर्न्तगत 34,530.64 हेक्टेयर (परिशिष्ट -4.12) अतिरिक्त क्षेत्रफल को लाने के लिये, 2006-11 की अवधि में जनपद इकाइयों को ₹ 37.36 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये अवमुक्त की गयी थी। उद्यानों के अनुरक्षण के लिये लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किये गये थे।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

पौधरोपण के अनुरक्षण हेतु ₹ 1.27 करोड़ की अनियमित सहायता का भुगतान किया गया था।

पौधरोपण के लिए ₹ 2.08 करोड़ की अधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी थी।

- वर्ष 2006-07 की अवधि में, 3001.75 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया था, जबकि अनुरक्षण सहायता 2007-08 में 5490.50 हेक्टेयर तथा 2008-09 में 4634.60 हेक्टेयर के लिये लाभार्थियों को दी गयी थी;
- इस प्रकार लाभार्थियों को अनुरक्षण के लिये 3001.75 हेक्टेयर से अधिक रोपित क्षेत्रफल हेतु भुगतान की गयी, ₹ 1.27 करोड़ (2007-08 : ₹ 0.71 करोड़ तथा 2008-09 : ₹ 0.56 करोड़) की वित्तीय सहायता अनियमित थी,
- 2007-08 की अवधि में, 8127.49 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पौधरोपण के लिये अनुमन्य वित्तीय सहायता ₹ 9.14 करोड़ (₹ 11250/हेक्टेयर की दर से) के सापेक्ष 11.22 करोड़ अवमुक्त की गयी। इस प्रकार, पौधरोपण के लिये लाभार्थियों को ₹ 2.08 करोड़ की अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि

- बहुवर्षीय फलदार फसलों¹³ के अर्न्तगत 20,537.88 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल (परिशिष्ट-4.13) को लाने के लिये 2006-11 की अवधि में, ₹ 19.93 करोड़ की धनराशि का व्यय लाभार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये किया गया था।

2006-07 की अवधि में यह प्रकाश में आया कि 2147.10 हेक्टेयर में पौधरोपण किया गया था जबकि लाभार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिये अनुरक्षण 2007-08 में 3788.39 हेक्टेयर तथा 2008-09 में 3287.00 हेक्टेयर में सहायता दी गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.06 करोड़ (2007-08: ₹ 0.72 करोड़ तथा 2008-09: ₹ 0.34 करोड़) का व्ययाधिक्य किया गया।

सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उत्तर में बताया गया (अप्रैल-सितम्बर 2011) कि लाभार्थियों को अनुरक्षण के लिये वित्तीय सहायता पूर्व वर्षों के पौधरोपण के लिये दी गयी थी।

¹² आम : ₹16,500, आम (हाई डेन्सिटी) : ₹40,000, अमरूद : ₹16,463, अमरूद : (हाई डेन्सिटी), ₹ 31,388, आँवला : ₹17,505, साइटस/बेल/बेल : ₹ 14,213, लीची : ₹17625 प्रति हेक्टेयर।

¹³ आँवला, बेल, साइटस, अमरूद, आम एवं लीची

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि अनुवर्ती द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में अनुरक्षण के लिये सहायता हेतु किसी वर्ष में रोपित क्षेत्रफल की प्रगति या तो स्थिर या कम (पौधों की कम जीवितता के कारण) हो सकती है। परन्तु, किसी भी परिस्थिति में यह क्षेत्रफल बढ़ नहीं सकता।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2012) कि वित्त नियन्त्रक द्वारा विस्तृत जाँच की जायेगी।

पुराने बागों का जीर्णोद्धार/प्रतिस्थापन

जीर्णोद्धार हेतु ₹ 6.16 करोड़ की वित्तीय सहायता वांछित संयुक्त निरीक्षण किए बिना दी गई थी।

पुराने बागों को हटाकर, नये पौधरोपण, निवेशों के उचित एवं सम्पूर्ण संयोजन, कटाई छटाई तथा रोपण तकनीक के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि के लिये चिन्हित लाभार्थियों को जीर्णोद्धार/प्रतिस्थापन के लिये 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम सहायता ₹ 15,000 प्रति हेक्टेयर (2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक) देय थी। जीर्णोद्धार हेतु बागों का चिन्हीकरण सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात किया जाना था।

जबकि, नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि, 24 जनपदों में जीर्णोद्धार हेतु बागों का चिन्हीकरण संयुक्त निरीक्षण के बिना ही किया गया था तथा 9570 हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 5774.45 हेक्टेयर (60 प्रतिशत) के लाभार्थियों को ₹ 6.16 करोड़ की सहायता (2006-11) दी गयी थी।

उत्तर में, सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों ने बताया (जुलाई 2011) कि उद्यान निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि संयुक्त निरीक्षण, जिला उद्यान अधिकारी तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक द्वारा किया जाना आवश्यक था लेकिन नहीं किया गया तथा उद्यान निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (फरवरी 2012) कि जनपदीय अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जो कि प्रतीक्षित था (मार्च 2012)।

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन एसएचएम का एक महत्वपूर्ण घटक था। योजना के अन्तर्गत औद्यानिक उत्पादों के विपणन में वृद्धि के लिये औद्यानिक उत्पाद का प्रसंस्करण एवं विपणन, संग्रहण, पैकिंग, ग्रेडिंग, परिवहन, शोधन एवं पकाना जैसे संरचनात्मक सुविधाओं के तन्त्र का सृजन करना आवश्यक था।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि, 2006-11 की अवधि में, विभाग ने पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों में 20 घटकों के लिये प्रावधान किया था। जाँच में आगे देखा गया कि 13 घटकों में, प्रगति 10 प्रतिशत से भी कम थी।

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन सुविधाओं के सृजन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि, 2006-11 की अवधि में, यद्यपि प्रावधान किया गया था एवं निधियां उपलब्ध थी, परन्तु प्रगति मात्र शून्य से 31 प्रतिशत (परिशिष्ट-4.14) के बीच थी। यह इंगित करता है कि स्थानीय स्तर की आवश्यकता का आकलन किये बिना ही वार्षिक कार्य योजना में आवंटन किया

गया था जिसके परिणामस्वरूप सहायक गतिविधियों के अभाव में कृषकों के उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिला।

सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों ने उत्तर में बताया (अप्रैल-सितम्बर 2011) कि निदेशालय द्वारा परियोजना स्वीकृत न करने एवं लाभार्थियों द्वारा रूचि न दर्शाये जाने के कारण प्रगति कम थी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधि, योजना का एक महत्वपूर्ण घटक था, जो कृषकों के उत्पाद की क्षति कम करने एवं उसकी गतिविधियों के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए था, तथा समय से परियोजना का अनुमोदन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये था।

शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि भारत सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारम्भ होने (अप्रैल 2012) के पश्चात् कृषक उत्पादों की क्षति में कमी आएगी।

नमूना जाँच किये गए जनपदों में पायी गयी अन्य अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किये गए जनपदों के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी:

जैविक खाद का वितरण नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 23.26 लाख का व्यय निरर्थक हुआ।

- जिला उद्यान अधिकारी, कुशीनगर द्वारा यूपी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से ₹ 23.26 लाख का व्यय (फरवरी 2007) जैविक खाद के क्रय पर किया गया था। यह देखा गया कि जैविक खाद को लाभार्थी कृषकों में वितरित नहीं किया गया तथा राजकीय शीतगृह, कसया के प्रांगण में ढेर के रूप में रखा (फरवरी 2007) गया था, परिणामस्वरूप लाभार्थियों द्वारा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग न करने से व्यय निरर्थक हुआ; तथा
- पाँच नमूना जाँच किये गए जनपदों (जौनपुर, झाँसी, महोबा, मथुरा तथा सहारनपुर) के वर्मी इकाईयों का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन केवल सहारनपुर में किया जा रहा था तथा बाकी जनपदों (झाँसी, महोबा तथा मथुरा) में वर्मी यूनिट का निर्माण या तो नहीं हुआ या असंचालित (जौनपुर) था।



जौनपुर में वर्मी कम्पोस्ट इकाई



झाँसी में वर्मी कम्पोस्ट इकाई

शासन ने ऊपर दिये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2012) कि सम्बन्धित जनपदों में जाँच करायी जायेगी।

4.1.10.2 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा गुणात्मक बीज एवं पौध सामग्री, कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने, राजकीय बीज प्रक्षेत्रों को सहायता और कृषकों हेतु भ्रमण अध्ययन कार्यक्रम आयोजित करके कृषि/औद्योगिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केन्द्र पोषित योजना (शत प्रतिशत) आरकेवीवाई (मई 2007) प्रारम्भ की गई।

योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तायुक्त बीज एवं पौध सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करना, उच्च गुणवत्ता युक्त सब्जी के आच्छादित क्षेत्रफल में विस्तार करना, औद्योगिक तकनीकी में सुधार, विविध कार्यक्रमों के मध्य एकरूपता स्थापित करना, कृषकों के तकनीकी ज्ञान में वृद्धि एवं सुदृढ़ता तथा कुशल और अकुशल युवाओं को रोजगार के अवसर का सृजन करना था।

वित्तीय प्रबन्धन

कृषि विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए नोडल एजेन्सी था व राज्य कृषि योजनाओं, जिसमें औद्योगिक विकास शामिल था, को बनाने के लिए उत्तरदायी था। उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार को प्रेषित किया जाना था।

आवंटन एवं व्यय

योजना दो स्ट्रीम में विभाजित थी। स्ट्रीम I में आरकेवीवाई के कुल आवंटन का 75 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि सम्बन्धी गतिविधियों के लिए निर्धारित था तथा, स्ट्रीम II में शेष 25 प्रतिशत आवंटन को चालू राज्य सेक्टर योजनाओं के सुदृढ़ीकरण एवं रिक्त स्रोतों को भरने के लिए उपभोग किया जाना था। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का विवरण सारणी-7 में अंकित है।

सारणी 7: आरकेवीवाई के अन्तर्गत 2008-11 में आवंटन एवं व्यय का विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	राज्य/कृषि विभाग से आवंटन	व्यय	अवशेष/समर्पित
2008-09	-	4.00	3.97	0.03 (समर्पित)
	-	39.85	-	39.85 (बैंक में अवरुद्ध)
2009-10	39.85	11.60	43.46	7.99 (समर्पित)
2010-11	-	30.00	22.77	7.23 (समर्पित)
	-	0.58	-	0.58 (कृषि विभाग को वापस)
योग		86.03	70.20	

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:

- अवधि 2008-11 के दौरान उद्यान विभाग ने आवंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 70.20 करोड़ (82 प्रतिशत) का उपभोग किया एवं शेष समर्पित/बैंक में रखा गया।

- वर्ष 2010-11 के दौरान कृषि विभाग द्वारा राजकीय पौधशालाओं एवं उद्यानों के सुदृढीकरण हेतु ₹ 0.58 करोड़ चेक द्वारा दिया गया (जुलाई 2010) उद्यान विभाग द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग नहीं किया गया एवं कृषि विभाग को वापस (मार्च 2011) कर दिया गया।

उपरोक्त के सन्दर्भ में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2012)।

लो-टनल में उच्च गुणवत्तायुक्त सब्जियों का उत्पादन

स्ट्रीम-1

सब्जियों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार एवं लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने तथा तकनीकी के प्रसार हेतु लोटनल (पालीथिन कवर एवं एग्रोनेट के साथ) उन्नतशील सब्जी बीज एवं निवेश, सब्जी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना सहायता के रूप में दिया जाना था।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि:

लो-टनल पाली हाउस के क्रय पर ₹ 1.11 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

- वर्ष 2009-10 की अवधि में, विभाग द्वारा योजनान्तर्गत वांछित पाली हाउस आपूर्ति हेतु दर का निर्धारण नहीं किया। इसके कारण जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा विभिन्न दरों पर, ₹ 652 (वाराणसी) से ₹ 1000 (जौनपुर)¹⁴ के मध्य ₹ 3.35 करोड़ में 34378 लोटनल पाली हाउस का क्रय किया गया (*परिशिष्ट-4.15*), परिणामस्वरूप ₹ 1.11¹⁵ करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ।
- निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2010-11 के दौरान 7238 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लक्ष्य के सापेक्ष, संकर सब्जी बीज, उर्वरक एवं अन्य पौध सामग्री तथा लोटनल पाली हाउस की व्यवस्था के लिए ₹ 30 करोड़ का सहायता अनुदान निर्धारित किया गया था। वर्ष 2010-11 में, उपरोक्त निवेशों के लिए विभाग द्वारा पाली हाउस को छोड़कर ₹ 22.77 करोड़ का व्यय किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में, पाली हाउस की प्राप्ति हेतु कोई निर्णय नहीं लिया गया। नमूना जिलों के अभिलेखों की जाँच में भी देखा गया कि निदेशालय द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने (अगस्त 2010) के कारण इस मद में लाभार्थियों को वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की गई।

सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा उत्तर में बताया गया (अप्रैल-सितम्बर 2011) कि लोटनल पाली हाउस प्रदान नहीं किए जाने के कारण सब्जी के उत्पादन में कमी हुई।

इस प्रकार दरों का निर्धारण नहीं करने के कारण न तो जनपदों में लोटनल पाली हाउस प्राप्त किये गये (2010-11) और न ही विभाग द्वारा केन्द्रीकृत खरीद की गयी जिसके कारण, ₹ 22.77 करोड़ के व्यय के उपरान्त भी योजना के अन्तर्गत उत्पादन में वृद्धि का उद्देश्य विफल रहा।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2012) एवं बताया गया कि सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया है तथा इसके उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

¹⁴ जिला उद्यान अधिकारी, जौनपुर एवं वाराणसी एक ही उप निदेशक के नियन्त्रण में थे।

¹⁵ परिहार्य व्यय ₹ 3.35 करोड़-₹ 2.24 करोड़ (लोटनल पाली हाउस की लागत: 34378×652=₹ 2.24 करोड़)

स्ट्रीम II

योजना अन्तर्गत राजकीय बीज प्रक्षेत्रों/पौधशालाओं का सुदृढीकरण करना था, प्रशिक्षण एवं गोष्ठियों का आयोजन तथा प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा प्रचार किया जाना था।

(i) प्रचार :

मुद्रण एवं प्रचार सामग्री पर ₹ 1.53 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कृषकों द्वारा सामान्यतया भ्रमण किए जाने वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर फ्लैक्सी चार्ट/रोल अप स्टैन्ड को प्रचार हेतु प्रदर्शित करना था।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V (भाग-एक) के प्रस्तर 260 (परिशिष्ट-18) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री से आवश्यक संस्तुति प्राप्त किए बिना राज्य सरकार द्वारा 51 विषयों पर फ्लैक्सी चार्ट (150705) एवं रोलअप स्टैन्ड (684) बनाए जाने हेतु ₹ 1.53 करोड़ (₹ 1.27 करोड़ एवं ₹ 0.26 करोड़) की स्वीकृति दी गई।

फ्लैक्सी चार्टों की जाँच में देखा गया कि 51 विषयों में से मात्र 9 विषय आरकेवीवाई से सम्बन्धित थे, शेष 42 विषय एसएचएम, सूक्ष्म सिचाई एवं अन्य योजनाओं से सम्बन्धित थे। इस प्रकार केवल 9 विषयों का मूल्य ₹ 0.22 करोड़ आरकेवीवाई की निधि से व्यय किया जाना था एवं शेष ₹ 1.05 करोड़ सम्बन्धित योजनाओं से व्यय किया जाना था।

नमूना जाँच जिलों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि 7 जनपदों¹⁶ में निदेशालय से कोई फ्लैक्सी चार्ट प्राप्त नहीं हुआ था तथा 12 जनपदों¹⁷ में फ्लैक्सी चार्ट उपलब्ध कराए गए थे, परन्तु वे भण्डार में पड़े हुए थे।

इस प्रकार, विभाग द्वारा प्रचार सामग्री के अनियमित छपाई के बावजूद ₹ 1.05 करोड़ का अन्य योजनाओं पर व्यय आरकेवीवाई से किया गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री को प्रदर्शित न करने से योजना अन्तर्गत प्रचार का उद्देश्य विफल रहा।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया (फरवरी 2012) कि प्रदर्शित नहीं किए गए फ्लैक्सी चार्ट्स को सम्बन्धित जिलों में प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लैक्सी चार्ट/रोलअप स्टैन्ड के आरकेवीवाई योजना में अनियमित छपाई एवं व्यय के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(ii) अपूर्ण कार्य :

अपूर्ण कार्यों पर ₹ 2.06 करोड़ का निरर्थक व्यय किया गया था।

योजना अन्तर्गत, राजकीय बीज प्रक्षेत्र, पौधशालाओं, राजकीय पार्कों एवं उद्यानों के सुदृढीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी। नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि योजना अन्तर्गत सुदृढीकरण के स्वीकृत कार्य हेतु नौ जनपदों में ₹ 2.06 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु 14 से 35 माह व्यतीत होने के पश्चात (परिशिष्ट-4.16) भी निर्माण कार्य अपूर्ण था।

¹⁶ बहराइच, बाराबंकी, बस्ती, फतेहपुर, गोरखपुर, मथुरा और वाराणसी

¹⁷ बिजनौर, बुलन्दशहर, जौनपुर, झाँसी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महोबा, मेरठ, मुसादाबाद, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया एवं बताया गया (फरवरी 2012) कि कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी तथा दोषी कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

4.1.10.3 सूक्ष्म सिंचाई

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध जल संसाधनों के दोहन से अधिकतम लाभ उठाने एवं मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना फसल की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई परियोजना आरम्भ (जनवरी 2006) की गई।

सूक्ष्म सिंचाई के उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक के माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि तथा पानी उपयोग की दक्षता से कृषकों की आय में वृद्धि करना था।

निधियों का प्रावधान

भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुदान सहायता पर व्यय को 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। वार्षिक कार्य योजना के आधार पर 50 प्रतिशत धनराशि को राज्य/विभाग को सीधे अवमुक्त की जानी थी। शेष राशि राज्य/विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर अवमुक्त किया जाना था।

वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 से 2010-11 के दौरान, योजना अन्तर्गत क्रमशः ₹ 22.04 करोड़ एवं ₹ 8.03 करोड़ अवमुक्त किया गया। मानक के अनुसार राज्य सरकार को ₹ 5.51 करोड़ अवमुक्त करना था, परन्तु अपने अंश से ₹ 2.52 करोड़ अधिक अवमुक्त किया। विभाग द्वारा भारत सरकार के अंश का ₹ 17.07 करोड़ व्यय किया गया, शेष ₹ 4.97 करोड़ निदेशालय एवं जिला उद्यान अधिकारी के बैंक खातों में अवशेष पड़ा रहा। राज्य सरकार के अंश में से विभाग द्वारा मात्र ₹ 4.40 करोड़ का उपभोग किया गया एवं शेष ₹ 3.63 करोड़ का समर्पण 2006-11 में कर दिया गया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त धनराशि को अवरुद्ध रखा गया तथा अपने अंश को समर्पित करना वित्तीय प्रबंधन में कमी को दर्शाता है।

समापन गोष्ठी में शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई


ड्रिप सिंचाई तकनीकी में पाइप तन्त्र (मुख्य पाईप, मध्यम एवं पार्श्व) के माध्यम से पौधों की जड़ों में सिंचाई शामिल है। पानी की आवश्यकता, पौधों की आयु, पौधे से पौधे की दूरी, मृदा का प्रकार, पानी की गुणवत्ता एवं उपलब्धता के आधार पर निकास प्रणाली का निर्धारण किया जाता है।

उच्च घनत्व के पौधों, अनाज, दाल, मसाले एवं अन्य फसलों की सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली उपयुक्त होती है। स्प्रिंकलर प्रणाली में हार्ड डेन्सिटी पॉलीथीन पाइप (एचडीपीई) से सम्बद्ध नोजल के समूह से हवा में प्रेशर द्वारा पानी को छोड़ा जाता है, जो वर्षा का आभास कराता है।

सिंचाई हेतु उपयोग किये जाने वाले स्प्रिंकलर एवं ड्रिप प्रणाली के फोटो



सुल्तानपुर में स्प्रिंकलर



जौनपुर में ड्रिप

2005-11 के मध्य, भारत सरकार/निदेशालय ने समस्त 71 जिलों को सूक्ष्म सिंचाई से आच्छादित करने हेतु लक्ष्य का निर्धारण किया। लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि सारणी-8 में प्रदर्शित है-

सारणी 8: सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत 2005-11 के दौरान भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि (हेक्टेयर में)

वर्ष	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)					
	ड्रिप सिंचाई		स्प्रिंकलर सिंचाई		प्रदर्शन	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	8510.00	-	400.00	-	-	-
2006-07	-	1632.60	-	231.00	-	-
2007-08	-	4334.80	-	324.20	-	-
2008-09	271.00	921.48	1107.00	366.00	100.00	-
2009-10	-	1004.35	-	2294.50	-	101.17
2010-11	1400.00	632.30	4017.00	2369.10	173.00	96.50
योग	10181.00	8525.53	5524.00	5584.80	273.00	197.67

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:

ड्रिप सिंचाई के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया।

- धन की उपलब्धता होने के बावजूद, विभाग द्वारा 2005-06 के लिए सूक्ष्म सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में 6 वर्षों का समय लिया गया।
 - ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के प्रदर्शन हेतु भौतिक लक्ष्य का निर्धारण केवल 2008-09 एवं 2010-11 में किया गया और उसके सापेक्ष समग्र उपलब्धि 72 प्रतिशत रही।
- 13 जनपदों¹⁸ में, 8 ड्रिप एवं 6 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि-
- प्रणाली को चलाने हेतु आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा लाभार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया;
 - स्प्रिंकलर प्रणाली का लाभार्थी कृषकों द्वारा सिंचाई कार्य हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है।

¹⁸ ड्रिप: बहराइच, गोरखपुर, झाँसी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महोबा, मेरठ और वाराणसी
स्प्रिंकलर: फतेहपुर, जौनपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर।



कुशीनगर में स्पिंकलर

- आठ लाभार्थियों के भौतिक निरीक्षण में मात्र दो ड्रिप प्रणाली क्रियाशील थे;
- लखीमपुर खीरी में, गन्ना एवं धान की खेती करने वाले लाभार्थी को ड्रिप सिंचाई प्रणाली उपलब्ध करायी गयी थी।



लखीमपुर खीरी में ड्रिप



लखीमपुर खीरी में ड्रिप

इस प्रकार, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, लाभार्थी कृषकों को उपलब्ध कराए गए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा रहा था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया और बताया गया (फरवरी 2012) कि योजना की गतिविधियाँ जल के अभाव वाले जनपदों में प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ की जाएगी।

4.1.10.4 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन

राज्य के 41 जनपदों के (परिशिष्ट- 4.17) सघन क्षेत्रों में औषधीय पौधों को बढ़ावा देने व आयुष की महत्वपूर्ण प्रजाति की औषधियों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजना (100 प्रतिशत) राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन (एनएमएमपी) प्रारम्भ (मार्च 2009) की गई। एनएमएमपी के मुख्य घटक, पौधशाला की स्थापना, कृषकों की क्षमता बनाना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन तथा ढाँचागत सुविधाओं का निर्माण था। योजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति उत्तरदायी थी।

एनएमएमपी के उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान करना, खेती के अभिसरण भंडारण द्वारा उत्तम कृषि तथा संग्रहण पद्धतियों द्वारा मानकीकरण एवं गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देना, मूल्य संवर्धन तथा विपणन द्वारा प्रसंस्करण क्षेत्रों/समूहों के स्थापना हेतु सहायता तथा इस प्रकार के क्षेत्रों/समूहों की इकाई स्थापना से उद्यमियों के लिए ढाँचागत सुविधाओं का विकास करना था।

वित्तीय प्रबंधन

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार से अनुदान, पूर्व वर्षों में अवमुक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही दिया जाना था।

सारणी 9: भारत सरकार द्वारा अवमुक्त तथा उपभोग धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक कार्य योजना के अनुसार धनराशि	प्रारम्भिक शेष	भारत सरकार से अवमुक्त	योग	व्यय	अन्तिम अवशेष
2008-09	0.31	-	0.23	0.23	-	0.23
2009-10	15.24	0.23	7.60	7.83	3.82	4.01
2010-11	34.12	4.01	0.25	4.26	-	4.26
योग	49.67		8.08		3.82	

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपभोग नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप आगामी वर्षों में अनुदान की अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं की गई।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि 2008-11 की अवधि में, राज्य औषधीय पौध मिशन (एनएमएमपी) की स्वीकृत लागत ₹ 49.67 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा ₹ 8.08 करोड़ ही अवमुक्त किया गया। ₹ 8.08 करोड़ में से विभाग द्वारा केवल ₹ 3.82 करोड़ का ही उपभोग किया गया व ₹ 4.26 करोड़ (53 प्रतिशत) बैंक में अवरुद्ध पड़ा रहा। विभाग द्वारा मूल आवंटन के उपभोग में विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में स्वीकृत अनुदान की अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी, फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में विकास शिथिल रहा।

समापन गोष्ठी में, शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

पौधशालाओं की स्थापना

योजना अन्तर्गत, गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये नवीन पौधशालाओं (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र) की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी थी।

निदेशालय एवं नमूना जाँच किये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि जिला उद्यान अधिकारी द्वारा प्रेषित (2009-11) वार्षिक कार्य योजनाओं में नवीन पौधशालाओं की स्थापना का कार्य प्रावधानित किया गया था और विभाग के पास ₹ 4.01 करोड़ की धनराशि उपलब्ध भी थी, परन्तु पौधशाला स्थापना हेतु लाभार्थियों को सहायक अनुदान उपलब्ध कराने के लिये धनराशि सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों को अवमुक्त नहीं की गयी।

समापन गोष्ठी में, शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

औषधीय पौधों की खेती

गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों के विकास एवं उत्पादन हेतु चिन्हित लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध करानी थी।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में निम्न बिन्दु प्रकाश में आये:

- दिशा-निर्देशों के अनुसार, औषधीय पौधों की इन्टर क्रॉपिंग केवल बेल के रोपण में अनुमन्य थी। परन्तु, मुजफ्फरनगर में बेल रोपण में टमाटर के द्वारा इन्टर क्रॉपिंग हेतु ₹ 0.67 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी।

उत्तर में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि टमाटर के बीज का औषधीय उपयोग होने के कारण इन्टरक्रॉपिंग में अनुमन्य था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि टमाटर औषधीय पौधों की सूची में शामिल नहीं था।

- वर्ष 2009-10, में जिला उद्यान अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 50 हेक्टेअर भूमि में स्टीविया के रोपण हेतु ₹ 31.25 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी थी। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा 6 हेक्टेअर रोपण के भैतिक सत्यापन (अप्रैल 2010) में केवल 50 से 60 प्रतिशत पौधों की जीवितता पायी गयी। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कृषकों को मृत पौधों को प्रतिस्थापित करने के निर्देश दिये गये।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर, जिला उद्यान अधिकारी द्वारा बताया गया कि कृषकों द्वारा उचित देखभाल के अभाव में फसल की जीवितता कम हो गयी थी।

- जिला उद्यान अधिकारी, फतेहपुर के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि राज्य की चिन्हित¹⁹ संस्थाओं में औषधीय रोपण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण ₹ 12.51 लाख की राशि निदेशालय को वापस कर दी गयी थी।

समापन गोष्ठी में, शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

¹⁹ सीमैप, लखनऊ, सीएसए कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर, डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद तथा डीम्ड विश्वविद्यालय, आगरा

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन

वर्ष 2009-11 की वार्षिक कार्य योजनाओं की जाँच में देखा गया कि पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन घटक के अन्तर्गत, ड्राइंग शेड तथा स्टोरेज गोदाम की स्थापना के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करने के लिये ₹ 6.07 करोड़ (2009-10: ₹ 3.32 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 2.75 करोड़) का प्रावधान किया गया था।

धन की उपलब्धता के बावजूद पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाओं का सृजन नहीं किया जाना।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि धन की उपलब्धता (₹ 4.01 करोड़) के उपरान्त भी लक्ष्य के सापेक्ष, वर्ष 2009-10 में कोई उपलब्धि नहीं थी। पूर्व वर्ष की धनराशि का उपभोग न करने के कारण, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

समापन गोष्ठी में, शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

प्रसंस्करण व विपणन ढाँचे की स्थापना

वर्ष 2009-11 की वार्षिक कार्य योजनाओं की जाँच में पाया गया कि प्रसंस्करण तथा विपणन ढाँचा अन्तर्गत, प्रसंस्करण इकाई तथा विपणन ढाँचे की स्थापना के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान करने के लिये ₹ 14.84 करोड़ (2009-10: ₹ 2.72 करोड़ तथा 2010-11: ₹ 12.12 करोड़) का प्रावधान किया गया था।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि धन की उपलब्धता (₹ 4.01 करोड़) के उपरान्त भी लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2009-10 में कोई उपलब्धि नहीं थी। पूर्व वर्ष की धनराशि का उपभोग न करने के कारण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच (2008-09) एवं अधीक्षक उद्यान, झॉंसी (2009-10) द्वारा सतावर बीज (4-5 वर्ष की फसल) के रोपण हेतु लाभार्थी कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। भौतिक निरीक्षण (अगस्त/सितम्बर 2011) में देखा गया कि, सतावर हेतु बाजारीय ढाँचा सृजित न होने के कारण, लाभार्थी कृषक, अपने उत्पादन के प्रतिस्पर्धात्मक दर से वंचित रह गये थे। विपणन ढाँचा विकसित न होने के परिणामस्वरूप, लाभार्थियों द्वारा फसल का रोपण नहीं किया जा रहा था।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2012) तथा बताया गया कि, योजना का क्रियान्वयन विपणन ढाँचा उपलब्धता वाले जनपदों में ही किया जायेगा।

4.1.10.5 खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक विकास प्रशिक्षण

राज्य में प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधा के कारण बड़ी मात्रा में औद्योगिक उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। वर्ष भर फलों और सब्जियों की उपलब्धता व कृषकों की उचित दर को सुनिश्चित करने के लिये औद्योगिक उत्पादों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रसंस्कृत करने व विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण की आवश्यकता थी।

कृषकों, बेरोजगार युवाओं व महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिये, राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में एक राजकीय खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक संस्थान व राज्य में 10 राजकीय

खाद्य वैज्ञानिक प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 101 राजकीय सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (1992-93) की गयी थी।

खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक विकास प्रशिक्षण के लिये 2006-11 के मध्य ₹ 4.54 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी तथा ₹ 4.50 करोड़ का व्यय किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

राज्य में ग्रामीण कृषकों, बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं में जागरूकता पैदा करने तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये प्रारम्भ में, 101 राजकीय सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये थे। 2006-11 की अवधि के मध्य, केन्द्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धि सारणी- 10 में उल्लिखित है :

सारणी 10: वर्ष 2006-11 के मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य तथा उपलब्धि

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	15 दिवसीय प्रशिक्षण		100 दिवसीय प्रशिक्षण		प्रसंस्करण प्रदर्शन	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
2006-07	101	34300	33525	130	131	623	631
2007-08	101	34200	31219	130	125	623	614
2008-09	74	24450	23480	146	138	438	429
2009-10	74	24700	24935	148	145	444	342
2010-11	74	24700	16737	148	70	-	-

(स्रोत: निदेशालय अभिलेख)

उपरोक्त सारणी-10 से स्पष्ट था कि प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य में निरन्तर कमी हो रही थी जो निम्नानुसार थी।

- 2008-09 के दौरान, राजकीय सामुदायिक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण संस्थान की संख्या 101 से घटकर 74 हो गयी थी।
- 2006-11 के दौरान, पन्द्रह दिवसीय प्रशिक्षण के लक्ष्य में कमी आई थी।
- 2008-11 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या प्रशिक्षण (पन्द्रह दिवसीय) तथा प्रसंस्करण प्रदर्शन (फलों एवं सब्जियों) धीरे-धीरे कम हो रहे थे, परन्तु बजट आवंटन और व्यय अपरिवर्तित रहे।
- 2006-10 के दौरान, प्रसंस्करण प्रदर्शन (फलों एवं सब्जियों) के लक्ष्य धीरे-धीरे कम हो गये तथा 2010-11 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये।

इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण तथा संरक्षण से सम्बन्धित प्रशिक्षण व प्रदर्शन में आई कमी के कारण, विभाग द्वारा वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, जबकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि थी।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (फरवरी 2012) एवं बताया गया कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक केन्द्र रखने के नीतिगत निर्णय के कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में कमी आयी। परन्तु, इस अभिमत के सापेक्ष कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किये गये।

4.1.10.6 सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास की योजना (पीएचडीआईए)

राज्य के 28 जनपद जो, एसएचएम में आच्छादित नहीं थे, में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा एसएचएम के अनुरूप "सघन क्षेत्रों में व्यावसायिक औद्योगिक विकास की योजना" लागू (2006-07) की गयी। निदेशालय द्वारा वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्य योजना नहीं बनायी गयी और न ही कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये, उसके पश्चात योजना बन्द (मार्च 2010) कर दी गयी। योजना अन्तर्गत, आच्छादित 28 जनपदों में से 6²⁰ नमूना जनपदों में लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।

वित्तीय प्रबन्धन

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 2006-07 से 2009-10 के दौरान, ₹ 171.19 करोड़ के बजट प्रावधान के सापेक्ष ₹ 163.12 करोड़ ही अवमुक्त किया गया। विभाग द्वारा ₹ 152.38 करोड़ का व्यय किया गया व शेष धनराशि ₹ 10.74 करोड़ शासन को समर्पित कर दी गयी।

योजना बन्द होने के बावजूद ₹ 16.94 लाख आहरित करके बैंक में अवरुद्ध रखा गया।

योजना, मार्च 2010 में बन्द कर दी गयी। नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि 2007-09 के दौरान, लखीमपुर खीरी जनपद में ₹ 16.94 लाख कोषागार से आहरित करके बैंक खाते में जुलाई 2011 तक अवरुद्ध रखा गया, जबकि योजना मार्च 2010 में ही बन्द हो चुकी थी।

समापन गोष्ठी में, शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया।

पौधशाला की स्थापना

जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच के अभिलेखों की जाँच एवं भौतिक निरीक्षण (सितम्बर 2011) में स्पष्ट हुआ कि 2007-10 के दौरान, पूर्व स्थापित आदर्श पौधशाला (लीची) हेतु लाभार्थी को ₹ नौ लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध (2007-08) करायी गयी थी। आगे यह भी देखा गया कि, पौधशाला में 50,000 पौधों के मानक के सापेक्ष केवल 20,000 पौधे ही प्रति वर्ष उत्पादित हुये थे।

इस प्रकार, लाभार्थी कृषक के चिन्हीकरण में उचित मानदण्डों का पालन न करने के परिणामस्वरूप उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी थी।

शासन द्वारा तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया तथा यह बताया गया कि प्रकरण में जाँच की जायेगी व परिणाम लेखा परीक्षा को सूचित किया जायेगा।

नवीन उद्यान की स्थापना

औद्योगिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु नवीन उद्यान की स्थापना करके रोपित क्षेत्र का विस्तार, योजना का मुख्य उद्देश्य था। "नवीन उद्यान स्थापना" कार्यक्रम की परिकल्पना, बहुवर्षीय फलदार फसलों के क्षेत्र विस्तार में सहायता हेतु थी।

सहायता का मानक, बहुवर्षीय फलों के मूल्य का 75 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 22,500 प्रति हेक्टेयर) निर्धारित था। सामान्यता रोपण हेतु सहायता एक फसल के लिये थी जो तीन वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित होनी थी।

²⁰आजमगढ़, बहराइच, बिजनौर, फतेहपुर, काशीरामनगर एवं लखीमपुर खीरी।

अनुवर्ती किशतों का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

नमूना जाँच किये गये जनपदों के अभिलेखों की जाँच में स्पष्ट हुआ कि (परिशिष्ट-4.18) 6 जनपदों के लाभार्थी कृषकों को ₹ 2.10 करोड़ की वित्तीय सहायता रोपण वर्ष (2007-10) में उपलब्ध करायी गयी थी। सभी सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि, 2010-11 से योजना बन्द होने व धन अवमुक्त न करने के कारण सहायता की द्वितीय एवं तृतीय किशत अवमुक्त नहीं की गयी थी। जिला उद्यान अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा यह बताया गया कि पौधों की जीवितता कम होने के कारण अनुरक्षण सहायता की द्वितीय व तृतीय किशत नही उपलब्ध करायी गयी थी।

इस प्रकार निदेशालय एवं जिला इकाइयों के मध्य योजना के नियोजन व अनुश्रवण में समन्वय की कमी व लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के उपरान्त प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही न करने से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई, परिणामस्वरूप ₹ 2.10 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा।

शासन ने तथ्य को स्वीकार (फरवरी 2012) किया तथा यह बताया कि अवशेष कार्य, आरकेवीवाई के अन्तर्गत परियोजना बना कर पूर्ण कर लिया जायेंगे।

ढाँचे का सुदृढीकरण

अपूर्ण कार्यों पर ₹ 37.77 लाख का निरर्थक व्यय किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, (एचआरटीसी), बस्ती में प्रशिक्षु कृषकों को बुनियादी सुविधायें छात्रावास कमरों के पुनरुद्धार, सम्पर्क मार्ग, रसोई सह डायनिंग हॉल व पुस्तकालय सह प्रशिक्षण भवन तथा चारदीवारी के निर्माण हेतु ₹ 43.88 लाख, का अनुमोदन (फरवरी 2010) किया गया था। निर्माण कार्य, उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम, लखनऊ (निगम) को आवंटित किया गया, तथा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) संयुक्त निदेशक, एचआरटीसी, व निगम के मध्य हस्ताक्षरित (मार्च 2010) किया गया व ₹ 37.77 लाख की धनराशि निगम को उपलब्ध (मई-दिसम्बर 2010) करायी गयी।

एचआरटीसी के अभिलेखों की जाँच में ज्ञात हुआ कि पुनरुद्धार व निर्माण का कार्य आंशिक पूर्णता के उपरान्त रोक (अगस्त 2010) दिया गया तथा अधूरे कार्य पुनः प्रारम्भ नहीं हुये (जनवरी 2012)।

शासन द्वारा तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2012) किया गया तथा यह बताया गया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अपूर्ण कार्य की समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त की बैठक में की जायेगी।

4.1.10.7 निष्क्रिय पोस्ट हार्वेस्ट प्रशिक्षण विकेन्द्रीकरण केन्द्र

पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकों एवं उसके आधार को सुदृढ करने एवं उसे बढ़ावा देने के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायतित, उत्तर प्रदेश कृषि विविधकरण परियोजना (यूपी डाएएसपी) के अन्तर्गत 18 जनपदों में ₹ 6.96 करोड़ मूल्य के पोस्ट हार्वेस्ट प्रशिक्षण विकेन्द्रीकरण केन्द्रों (3 औद्योगिक तकनीकी विकेन्द्रीकरण केन्द्र, 8 औद्योगिक पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी केन्द्र तथा, 8 औद्योगिक पोस्ट हार्वेस्ट सह-केन्द्र) की स्थापना (वर्ष:2003) की गयी। औद्योगिक उत्पादों की क्षति को कम करने के लिये लाभार्थियों को केन्द्र पर प्रसंस्करण

व संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाना था। केन्द्रों के संचालन हेतु विभाग द्वारा 2007-11 के दौरान, ₹ 0.35 करोड़ का व्यय किया गया।

निदेशालय के अभिलेखों की जाँच से स्पष्ट हुआ कि, क्रय की गयी मशीन व उपकरणों (मूल्य : ₹ 3.45 करोड़) की निष्क्रियता से केन्द्रों को संचालित नहीं किया जा सका। निदेशालय द्वारा करायी गयी जाँच (जून 2009) से स्पष्ट हुआ कि मशीनों एवं उपकरणों को बिना संचालित किये तथा आपरेटरों को बिना प्रशिक्षित किये ही आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान कर दिया गया था।

18 जनपदों के अभिलेखों की जाँच एवं आठ²¹ नमूना जनपदों में भौतिक निरीक्षण में ज्ञात हुआ कि केन्द्र निष्क्रिय थे व मशीन व उपकरण बेकार पड़े थे, जैसा कि नीचे के चित्रों से स्पष्ट है।



विकेन्द्रीकरण केन्द्र, बस्ती

पोस्ट हार्वेस्ट
प्रशिक्षण
विकेन्द्रीकरण
केन्द्रों पर ₹ 7.31
करोड़ का निरर्थक
व्यय।

उत्तर में सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आपरेटरों की पदस्थापना व कच्चा माल उपलब्ध न होने के कारण मशीन व उपकरण निष्क्रिय थे।

इस प्रकार पोस्ट हार्वेस्ट प्रशिक्षण विकेन्द्रीकरण केन्द्रों की स्थापना के 8 वर्ष के उपरान्त भी क्रियाशील नहीं होने एवं ₹ 7.31 करोड़ (मशीन व उपकरण: ₹ 3.45, केन्द्रों की

²¹ बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, झाँसी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं वाराणसी।

स्थापना: ₹ 3.51 तथा संचालन: ₹ 0.35 करोड़) का व्यय करने के कारण, पूर्ण व्यय निरर्थक रहा।

शासन ने तथ्य को स्वीकार किया तथा यह बताया (फरवरी 2012) परिचालन लागत उपलब्ध न होने के कारण, केन्द्र निष्क्रिय थे। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि मशीनों के संचालन हेतु आवर्ती बजट की माँग की जायेगी।

उत्तर तर्क संगत नहीं था, क्योंकि मशीन एवं उपकरण 8 से अधिक वर्षों से निष्क्रिय थे तथा विभाग द्वारा केन्द्रों को संचालित करने हेतु आवश्यक परिचालन लागत के बजट प्रावधान करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और न ही उक्त मशीनों को संचालित करने हेतु आपरेटरों को पदस्थापित किया गया था, परिणामतः ₹ 7.31 करोड़ का व्यय निरर्थक रहा।

4.1.11 निष्कर्ष

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो राज्य अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, को राज्य सरकार द्वारा समुचित महत्व नहीं दिया गया। यह भी देखा गया कि मूलभूत आँकड़ों व समुचित मूल्यांकन के बिना वार्षिक कार्य योजना बनायी गयी थी। जनपद इकाइयों हेतु लक्ष्य का निर्धारण, जनपद की प्राथमिकता, संभाव्य जलवायु पर आधारित नहीं था। परिणामतः, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी थी तथा अप्रसांगिक²² योजनायें उत्तरोत्तर योजनाओं में सम्मिलित की गयी।

स्वीकृत नियोजित बजट प्रावधान के सापेक्ष कम धन अवमुक्त किये जाने के कारण कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा। विभिन्न स्तरों पर अपर्याप्त जनशक्ति के परिणामस्वरूप, क्रियाशील योजनाओं का अनुश्रवण नहीं हो सका, जिसके कारण योजना/कार्यक्रमों के गुणवत्ता उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

विभाग द्वारा वित्तीय नियमों की अवहेलना व उदासीन रवैये के कारण लहसुन बीज व लोटनल पाली हाउस के क्रय पर परिहार्य व्यय हुआ।

गुणवत्तायुक्त पौधों एवं बीजों का उत्पादन करने के लिए पौधशालाओं की स्थापना के सार्थक प्रयास नहीं किये गये। आदर्श/लघु पौधशालाओं की परियोजनाओं को बिना समुचित परीक्षण व मूल्यांकन के ही स्वीकृत किया गया था।

धन की उपलब्धता एवं समुचित प्रावधान के उपरान्त भी पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन जो कि औद्योगिक उत्पाद के विपणन में सुधार के लिये आवश्यक था पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विद्यमान अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली अपर्याप्त थी, परिणामस्वरूप परियोजनाओं का क्रियान्वयन दयनीय था।


²² औद्योगिक फसल बीमा तथा औद्योगिक डाटाबेस प्रबन्धन

संस्तुतियाँ

- पर्सपेक्टिव प्लान बनाया जाना चाहिए। राज्य में औद्योगिक फसलों की आवश्यकता का क्षेत्रीय स्तर पर आकलन करने के उपरान्त ही वार्षिक कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।
- प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम, वास्तविक आवश्यकता और क्रियान्वयन की क्षमता के आधार पर होना चाहिए।
- कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध उपयोग एसएचएम द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु विकास खण्ड/पंचायत स्तर पर ग्रामीण विपणन सुविधा स्थापित की जानी चाहिए।
- योजना/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का गहन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता है।

इलाहाबाद

दिनांक 21 मई 2012



(मुकेश पी सिंह)

प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)

उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित



(विनोद राय)

नई दिल्ली

दिनांक 12 2 मई 2012

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक